



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2250] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2015/आश्विन 22, 1937

No. 2250] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2015/ASVINA 22, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2827(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 145 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नया रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
145	144	जम्मू और कश्मीर राज्य में रारा-44 पर डोमेल के निकट अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कटरा, रियासी, पौनी को जोड़ने वाला और रारा-144ए के साथ बामला के निकट अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-8)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड वी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1031 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2015

S.O. 2827(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 145 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
145	144	The highway starting from its junction with NH No. 44 near Domel connecting Katra, Riasi, Pauni and terminating at its junction with NH No. 144A near Bamla in the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-8)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1031 (E), dated 17th April, 2015.